रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2006/वैशाख 6, 1928
No. 410] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2006/VAISAKHA 6, 1928

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2006

का.आ. 610(अ).— चूंकि केंद्र सरकार को मै. जोशी टैक्नोलॉजीज इन्टरनेशनल इंक, 502, सतकार, सी.जी. रोड, के सामने नवरगंपुरा, अहमदाबाद-380009 (गुजरात) से, तेल निकालने के प्रयोग के लिए यू.एस.ए से हवाई जहाज द्वारा कुछ विशेष विस्फोटकों को आयात करने की अनुमति हेतु पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है

और चूंकि पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन संतुष्ट है कि विस्फोटकों के प्रस्तावित आयात का उपयोग, तेल खोज प्रयोजन में किया जाएगा और, इसलिए विस्फोटक नियमावली, 1983 (इसे यहां उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 31 के उप-नियम (2) के दायरे से आवश्यक छूट प्रदान की जा सकती है, जिसके तहत यहां विनिर्दिष्ट किए गए विस्फोटकों का हवाई जहाज द्वारा आयात अथवा निर्यात निषिद्ध है;

और जबकि नागर विमानन महानिदेशक ने वायुयान (खतरनाक वस्तुओं का वहन) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने परमिट सं. 30-डीजी/2006 दिनांक 7.2. 2006 द्वारा जो कि 15.7. 2006 तक वैध है इस प्रकार के विस्फोटकों को वायु मार्ग द्वारा ले जाने के लिए मै. जोशी टैक्नोलॉजीज इन्टरनेशनल इंक, अहमदाबाद को कतिपय शर्तों के साथ आवश्यक अनुमति प्रदान की है।

अतः अब विस्फोटक अधिनियम, 1884(1884 का 4) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और नागर विमानन महानिदेशक द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मै. जोशी टैक्नोलॉजीज इन्टरनेशनल इंक, अहमदाबाद को मै. एस.आर.सी. टैक्नोलॉजी सैन्टर, श्लूमबर्गर टैक्नोलॉजी कारपोरेशन, 110 श्लूमबर्गर ड्राइव, शूगर लैंड, टैक्सास 77478, संयुक्त राज्य अमेरिका से मुम्बई हवाई अड्डे पर निम्नलिखित विस्फोटकों का वायुमार्ग द्वारा आयात करने के लिए उक्त नियमावली के नियम 31 के उप-नियम (2) के उपबंधों से छूट देती है जिसकी मदों और मात्राओं को नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट किया गया है, नामतः

1255 GI/2006

सारणी

क्रम सं.	विस्फोटक सामग्री का नाम	यू.एन. संख्या	वर्ग	निवल भार (कि.ग्रा. में)
1.	चार्जेज, शेप्ड	0441	1.4 एस	113.40
2.	चार्जेज, शेप्ड	0441	1.4 एस	73.48
3.	फ्यूजेज, डिटोनेटिंग	0367	1.4 एस	0.09
4.	डिटोनेटर्स, नॉन इलैक्ट्रिक	0455	1.4 एस	0.36
5.	आर्टिकल्स, एक्सप्लोसिव, एन.ओ.एस	0349	1.4 एस	13.61

2. उक्त सारणी में उल्लिखित विस्फोटकों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, नामतः :-

(1) नागर विमानन महानिदेशक और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और उनके द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हों, का पालन किया जायेगा ;

(2) 1 जनवरी, 1996 से लागू हुई अन्तरराष्ट्रीय वायु परिवहन एसोसिएशन खतरनाक माल विनियमावली के 37वें संस्करण की धारा 3 के 3.1 के तहत आने वाले प्रथम श्रेणी के विस्फोटकों से संबंधित प्रभाग के प्रभाग 1.4 के ही अनुरूप विस्फोटकों का आयात किया जायेगा ;

(3) (नियम 31 के उपनियम (2) के अलावा) उक्त नियमों में यथा निहित विस्फोटकों के कब्जे, परिवहन, प्रयोग और आयात से संबंधित सुसंगत उपबंधों का पालन किया जायेगा ;

(4) उक्त नियमों के अधीन लाइसेंसशुदा विस्फोटक सामग्री के वाहनों की पर्याप्त संख्या हवाई अड्डे पर तैयार रखी जायेगी ताकि विस्फोटक सामग्री को, वायुयान के उतरते ही शीघ्रता से हटाया जा सके ;

(5) वायुयान को हवाई अड्डे पर दूरस्थ स्थान पर खड़ा किया जायेगा और विस्फोटकों का वायुयान से वाहन में अंतरण शुरू होने से पहले महानिदेशक, नागर विमानन से परामर्श करके पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्डों का प्रबंध करके वायुयान और विस्फोटक सामग्री वाहन के चारों ओर कम से कम 500 वर्गमीटर क्षेत्र को घेर लिया जायेगा । उक्त व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि अन्तरण पूरा नहीं हो जाता और अच्छी तरह से बन्द वाहन उक्त स्थान से रवाना नहीं हो जाता ;

(6) घिरे हुए क्षेत्र के अन्दर कोई धूम्रपान अथवा खुली बत्ती के उपयोग की अनुमति नहीं होगी ; तथा

(7) उपर्युक्त विस्फोटक सामग्री को ले जा रहे वाहन उक्त नियमों के अधीन लाइसेंसयुक्त भण्डारण मैगजीन की ओर अग्रसर होगें और रास्ते में कोई अनुचित विलम्ब नहीं किया जायेगा और विस्फोटकों के परिवहन के दौरान उक्त नियमों के सभी उपबंधों और स्थानीय यातायात नियमों और नगर पालिका के विनियमों, यदि कोई हों, का पालन किया जायेगा ।

[फा. सं. 2(9)/2006-विस्फो.]

आर. एस. जुलानिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2006

S.O. 610(E).— Whereas the Central Government has received a proposal made by M/s. Joshi Technologies International Inc., 502, Satkar, Off C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009 (Gujarat) to the Petroleum and Explosives Safety Organisation for permission to import certain explosives by air from USA for oil exploration purposes;

And, whereas the Petroleum and Explosives Safety Organisation is satisfied that the proposed import of explosives shall be used for oil exploration purposes and, therefore, necessary exemption may be granted from the purview of sub-rule (2) of rule 31 of the explosives Rules,1983 (hereinafter referred to as the said rules) which prohibits import or export of explosives specified herein by air;

And, whereas the Director General of Civil Aviation has in exercise of powers conferred by sub-rule (1) of rule 3 of the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003, granted necessary permission with certain conditions to M/s. Joshi Technologies International Inc., Ahmedabad to carry such explosives by air vide their permit number 30-DG/2006 dated 7.2.2006 which is valid upto 15.7.2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), and on the recommendations made by the Petroleum and Explosives Safety Organisation and the Director General of Civil Aviation, the Central Government hereby exempts M/s.Joshi Technologies International Inc., Ahmedabad, from the provisions of sub-rule (2) of rule 31 of the said rules, for import of the following explosives, the items and quantities of which are specified in the Table below, by air from M/s. S R C Technology Centre, Schlumberger Technology Corporation, 110 Schlumberger Drive, Sugar Land, Texas 77478, United States of America at Mumbai airport, namely:-

Table

S.No.	Name of the Explosives	U.N. Number	Class	Net weight (in kilograms)
1.	Charges, Shaped	0441	1.4S	113.40
2.	Charges, Shaped	0441	1.4S	73.48
3.	Fuses Detonating	0367	1.4S	0.09
4.	Detonators, Non-Electric	0455	1.4S	0.36
5.	Articles, Explosive, N.O.S.	0349	1.4S	13.61

2. The explosives mentioned in the Table shall be imported subject to the following conditions, namely:-

(1) necessary clearances are obtained from the Director General of Civil Aviation and the Airports Authority of India and conditions, if any, imposed by the said authorities shall be complied with;

(2) explosives conforming only to Division 1.4 of the Division relating to class 1-Explosives falling under 3.1 of section 3 of 37th Edition of International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations, which became effective on 1st January, 1996, shall be imported;

(3) strict compliance with the relevant provisions relating to the possession, transport, use and import of explosives, (except sub-rule (2) of rule 31) of the said rules;

(4) requisite number of explosives vans, licensed under the said rules, shall be kept ready at the airport so that the explosives can be removed expeditiously from the aircraft after its landing;

(5) aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of at least five hundred square metres around the aircraft and the explosives van shall be cordoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aviation before the transfer of explosives from aircraft to van begins. The arrangement shall continue till such transfer is completed and the van is duly locked and leaves the site;

(6) smoking or use of naked light shall not be permitted within the cordoned area; and

(7) vans carrying the explosives shall proceed to the storage magazine licensed under the said rules and no undue delay shall be made on the way and all provisions of the said rules and local traffic rules and municipal regulations, if any, shall be complied with during the transportation of the explosives.

[F. No. 2(9)/2006-Expl.]

R. S. JULANIYA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.